

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 9A/2018

पीठासीन अधिकारी : मुनी देविबा लोमर

श्री बद्रीनारायण पुत्र श्री धासीराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।  
-वादी

बनाम

1. जगदीश
2. रामेश्वर  
पुत्रान श्री पूसीराम जाति गूर्जर निवासी देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
3. मदनलाल पुत्र श्री सत्यनारायण जाति गूर्जर निवासी देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर।
5. हल्का पटवारी ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर।
6. उप पंजीयक महोदय, पुष्कर

-प्रतिवादीगण

॥ निर्णय ॥

दिनांक : 19-6-19

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात् ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है कि खसरा संख्या 179 नया संख्या 169 पुराना में अंकित कुल किता 9 रकबा 4.80 है0 तथा खाता संख्या 270 नया व संख्या पुराना 249 में अंकित खसरा संख्या 618, 965, 966, 967 को छोड़ कर शेष कुल किता 49 कुल रकबा 13.44 है0 भूमि में वादी का 1/2 का सहिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादीगण संयुक्त आराजी में स्थित संयुक्त कुए से पानी को पानी लेने व सिंचाई करने में रुकावट डालते है इसलिए वादी का अपने हिस्से की भूमि का जरिये बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाकर पृथक से खाता कायम करने तथा तरमीम करने के अनुतोष के साथ वादी द्वारा वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा पूर्व केम्प कोर्ट ग्राम देवनगर दिनांक 21.05.2015 को स्वयं उपस्थित होकर अपने पूर्वजों द्वारा किये गये वाहमी बंटवारे के अनुसार बंटवारा करने की सहमति प्रदान की गई। तदुपरान्त पत्रावली तारीख तब्दील होकर केम्प कोर्ट दिनांक 14.05.2016 को केम्प कोर्ट देवनगर में प्रस्तुत हुई। सभी पक्षकारान् द्वारा उपस्थित होकर वादग्रस्त आराजियात् का सहमति से विभाजन किये जाने तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खाता कायम कर पृथक-पृथक लगान कायम करने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 14.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया गया कि बंटवारा प्रस्ताव मय कुर्रैजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में भरकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक 1031 दिनांक 15.06.2017 को न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार पुष्कर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि ग्राम



नगर की जमाबन्दी संवत् 2069-72 के खाता संख्या 270 में ख0न0 618, 965, 966, 967 की भूमि को छोड़कर शेष भूमि खसरा किता-49 रकबा 13.44 है0 एवं ग्राम बांसेली की जमाबन्दी संवत् 2068-71 के खाता संख्या 179 खसरा किता-9 रकबा 4.80 है0 का विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षकारान् खातेदार श्री बद्रीनारायण पुत्र घासीराम, जगदीश रामेश्वरपिता पूसीराम, मदन पुत्र सत्यनारायण जाति गूर्जर निवासी ग्राम देवनगर की उपस्थिति में उनकी सहमति अनुसार निम्न प्रकार तैयार किया गया:-


ग्राम-देवनगर				
क्र0सं0	नाम काश्तकार	खसरा सं0	क्षेत्रफल	किरम
1	बद्रीनारायण पुत्र घासीराम जाति गूर्जर सा0देह खातेदार	90	0.2500	बारानी-3
		92	0.2700	बारानी-3
		132	1.8100	चाही-3
		132/3192	0.0100	गै0मु0चाह
		146	0.8800	बारानी-1
		147	0.0800	बारानी-1
		1021	0.1500	चाही-2
		1026/1	0.3800	बारानी -2
		1022/1	0.0200	चाही-2
		1212	0.6100	बारानी-2
		1213	0.2000	बारानी-2
		1214	0.2000	बारानी-2
		1215	0.2000	बारानी-2
		1416/2	0.1700	चाही-1
		1460	0.1200	चाही-1
		1467	0.0600	चाही-1
		1469/1	0.1100	चाही-1
		1473/1	0.0300	चाही-1
		<b>किता-18</b>	<b>5.5500</b>	
2	जगदीश रामेश्वर पि0 पूसीराम, मदन पुत्र सत्यनारायण जाति गूर्जर सहित- जगदीश का हिस्सा SBBJ शाखा पुष्कर, सहित रामेश्वर का हिस्सा PNB शाखा पुष्कर मूर्तहिन	79/2775	0.0200	चाही-3
		80/2774	0.0300	चाही-3
		91	0.4100	बारानी -3
		93	0.2800	बारानी-3
		134	0.6000	चाही-3
		135	1.1800	चाही-3
		135/3193	0.0100	गै0मु0 चाह
		137	0.1200	चाही-1
		137/3197	0.0100	गै0मु0 चाह
		144	0.2000	बारानी-1
		145	0.8500	बारानी-1
		186	0.2200	चाही-1
			1022/2	0.1700
	1026/2	0.2200	बारानी-2	
	1044	0.1600	बारानी-2	
	11098	0.6700	बारानी-2	

(2)

		1199	0.6000	बारानी-2
		1205	0.1900	बारानी-2
		1206	0.1700	बारानी-2
		1411	0.0700	चाही-1
		1412	0.0200	चाही-1
		1413	0.0800	चाही-1
		1416/1	0.1700	चाही-1
		1420	0.0400	चाही-1
		1469/2	0.0600	चाही-1
		1473/2	0.0300	चाही-1
		1476	0.0700	चाही-1
		2122	0.0700	चाही-1
		2123	0.0100	गै0मु0चाह
		2124	0.0800	चाही-1
		2134	0.3600	चाही-1
		<b>किता-31</b>	<b>7.1700</b>	
3	जगदीश वल्द पूसीराम 9/10 हि0	758	0.1700	चाही-2
	रामेश्वर वल्द पूसीराम 1/10 हि0	759/2789	0.0600	बारानी-1
	कौम गूजर सा0देह	961	0.0400	गै.मु0रास्ता
		989	0.3600	बारानी-2
		992	0.0900	बारानी-2
		<b>किता-5</b>	<b>0.7200</b>	

**ग्राम - बांसेली**



क्र0सं0	नाम काश्तकार	खसरा सं0	क्षेत्रफल	किस्म
1	बद्रीनारायण पुत्र घासीराम जाति गूजर	836/1054/1	0.1800	चाही-1
		836/1054/3	0.0400	चाही-1
		837	0.7200	चाही-1
		844/1	0.7900	चाही-1
		845	0.3600	चाही-1
		848/3	0.3600	चाही-1
		848/1053	0.0600	चाही-1
		<b>किता-7</b>	<b>2.5100</b>	
2	जगदीश रामेश्वर पि0 पूसीराम, मदन पुत्र सत्यनारायण जाति गूजर	836/1054/2	0.0800	चाही-1
		838	0.6600	चाही-1
		844/2	0.0300	चाही-1
		846	1.0400	चाही-1
		847/1	0.0500	चाही-1
		848/2	0.3500	चाही-1
	<b>किता-6</b>	<b>2.2100</b>		
3	बद्रीनारायण पुत्र घासीराम, जगदीश, रामेश्वर पि0 पूसीराम मदन पुत्र सत्यनारायण कौम गूजर	847/2	0.0400	गै0मू0 चाह
		848/1	0.0400	चाही-1
	<b>किता-2</b>	<b>0.0800</b>		

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 पुष्कर (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष उपस्थित। सरकार पैरोकार उपस्थित।  
दी वकील द्वारा प्राथमिक डिक्री के आधार पर अन्तिम निर्णय किये जाने का आग्रह किया।  
चूंकि उक्त प्रकरण सह-खातेदारी की भूमि का विभाजन करने से संबंधित है जिसमें पक्षकारान्  
को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवादित खाता संख्या 179 नया व संख्या 169 पुराना में  
अंकित कुल कित्ता 9 कुल रकबा 4.80 है0 तथा खाता संख्या 270 नया व संख्या 249 पुराना  
में अंकित खसरा संख्या 618, 965, 966, 967 की भूमि को छोड़कर शेष भूमि का वाहमी  
बटवारा पक्षकारान् के मध्य कर , अन्तिम डिक्री के आदेश तहसीलदार पुष्कर को दिए जाते  
हैं। अन्तिम डिक्री इसी कदर की जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल मिसल किया  
गया।



  
उपखण्ड अधिकारी  
  
पुष्कर (खजमिर)